



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

1710/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2022

दिनांक 30/9/22

क्र.

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.09.2022 में की गयी अनुशंसाएं में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee 22-23		
			Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total
1	Diploma Engineering	35000	29750	5250	35000
2	Bachelor of Engineering	55000	46750	8250	55000
3	Master of Technology	55000	46750	8250	55000
4	Diploma Pharmacy	150000	89335	15765	105100
5	Bachelor of Pharmacy	65000	55250	9750	65000
6	B PHARMA PRACTICE	30000	25500	4500	30000
7	Master of Pharmacy	100000	85000	15000	100000

निरंतर -02

30/9/22

// 02 //
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

8	B. Tech (Agricultural Engineering)	50000	42500	7500	50000
9	Bachelor of Science (Ag)	70000	59500	10500	70000
10	Master of Science (Agriculture)	60000	51000	9000	60000
11	Diploma in Agriculture (8 Subjects)	28000	21250	3750	25000
12	Bachelor of Architecture	55000	46750	8250	55000
13	Master of Architecture (M.Arch)	90000	76500	13500	90000
14	Master of Computer Application	35000	29750	5250	35000
15	Bachelor of Computer Application	16000	13600	2400	16000
16	DCA	10000	8500	1500	10000
17	PGDCA	12000	10200	1800	12000
18	Master of Business Administration	50000	42500	7500	50000
19	Bachelor of Business Administration	18000	15300	2700	18000
20	Diploma Paramedical DMLT	40000	34000	6000	40000
21	Diploma Paramedical Xra.Tech	25000	21250	3750	25000
22	Degree Paramedical BMLT	60000	44625	7875	52500
23	Degree Paramedical BPT	50000	42500	7500	50000
24	Diploma Paramedical Ayurvedic	25000	21250	3750	25000
25	Bachelor Of Homoeopathic Medicine And Surgery	153000	116110	20490	136600
26	General Nursing & Midwifery(GNM)	60000	51000	9000	60000
27	Bachelor of Science (Nursing)	90000	76500	13500	90000
28	Post Basic B.Sc. (Nursing)	75000	54145	9555	63700
29	Diploma in Education	44300	37655	6645	44300
30	Bachelor of Education	55000	46750	8250	55000
31	Master of Education	65000	55250	9750	65000
32	Bachelor of Arts	10000	8330	1470	9800

निरंतर -03

30/11/22

// 03 //


शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

33	Master of Arts	15000	12750	2250	15000
34	Bachelor of Arts Bachelor of Laws(BALLB)	25000	21250	3750	25000
35	Bachelor of Law (LLB)	30000	20655	3645	24300
36	Master of Law (LLM)	55000	46750	8250	55000
37	Bachelor of Commerce (Plan/Honour)	13000	11050	1950	13000
38	Bachelor of Commerce(Computer)	14000	11900	2100	14000
39	Master of Commerce	20000	17000	3000	20000
40	Bachelor of Social Work	20000	17000	3000	20000
41	Master of Social Welfare (MSW)	20000	17000	3000	20000
42	Bachelor of Science	15000	12750	2250	15000
43	Master of Science	20000	17000	3000	20000
44	Bachelor of Library & Information Sciences (B.Lib. I. Sc)	10000	8500	1500	10000
45	Master of Library & Information Sciences (M.Lib. I. Sc)	12000	10200	1800	12000
46	Bachelor In Ayurvedic & Medical Science (B.A.M.S)	300000	218195	38505	256700
47	Diploma In Pharmacy Homoeopathy	25000	21250	3750	25000

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्यतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2022-23** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।


निरंतर -04


30/9/2027

//04//
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल